

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2019—आश्विन 1, शक 1941

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. एफ. 35-164-2019-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा 193-झाबुआ विधान सभा उप निर्वाचन 2019 के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों की सेवाएं शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(क) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा:—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
3. रेंज पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर.
4. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ/अलिराजपुर व उनके अधीनस्थ निर्वाचन कार्य में लगे पुलिस अधिकारीगण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.